

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26706/2026**

उमाशंकर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: जय सिंह यादव

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65**माननीय समीर जैन, न्यायमूर्ति**

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री जय सिंह यादव के ब्रीफ होल्डर विद्वान अधिवक्ता, श्री अटल बिहारी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री इमरान खान को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 60/2026, एस.टी. संख्या 733/2025, अंतर्गत धारा 103(1), 109, 332, 351(3) बी.एन.एस. तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम (पुरानी धाराएँ 302, 307, 449 एवं 506 आई.पी.सी. तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम), थाना-सुंगढ़ी, जनपद-पीलीभीत में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आरोप के अनुसार आवेदक मृतका का पूर्व पति था और घटना वाले दिन उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मृतका को चाकू से चोटें पहुँचाई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटना में सूचनाकर्ता, जो मृतका का पति है, तथा एक अन्य व्यक्ति को भी चोटें आईं। हालांकि, आवेदक के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूर्णतः झूठे हैं।
5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि तथापि, मृतका आवेदक को छोड़ने के बाद, सूचनाकर्ता के साथ रह रही थी, अतः, आवेदक के पास उसकी हत्या करने का कोई अवसर ही नहीं था और यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परिलक्षित होता है कि स्वयं सूचनाकर्ता ने स्वयं उसे चाकू से चोटें पहुँचाई और तत्पश्चात आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फँसा दिया।

6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि यद्यपि, मामले के घायल व्यक्ति प्रियंशु ने भी आवेदक के विरुद्ध बयान दिया है लेकिन चूँकि सूचनाकर्ता पहले ही प्राथमिकी में आवेदक का नाम ले चुका था, इसलिए उसने भी अपने बयान में प्राथमिकी के कथन को ही दोहरा दिया।

7. वह आगे प्रस्तुत करता है कि सह-अभियुक्त लखन को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 23202/2026 में दिनांक 16.07.2026 को पारित आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा तथापि, उसका नाम प्राथमिकी में नहीं था, किंतु घायल प्रियंशु तथा सूचनाकर्ता के बयानों से यह परिलक्षित होता है कि उन्होंने यह भी कहा था कि उसने मृतका को चोटें पहुँचाई थीं।

8. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 23.02.2025 अर्थात् लगभग डेढ़ वर्ष से जेल में है।

9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम प्राथमिकी में भी दर्ज है तथा उसके विरुद्ध आरोप अत्यंत गंभीर हैं।

10. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि तथापि, यद्यपि सह-अभियुक्त लखन को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है लेकिन उसका नाम प्राथमिकी में नहीं था और उसकी संलिप्तता का खुलासा सूचनाकर्ता द्वारा किया गया था, अतः, आवेदक का मामला लखन के मामले से भिन्न है।

11. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि तथापि, आवेदक लगभग डेढ़ वर्ष से जेल में है लेकिन उसने अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की है और वह हत्या के मुकदमे का सामना कर रहा है जिसमें न्यूनतम दंड आजीवन कारावास है। अतः, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

13. आवेदक का नाम प्राथमिकी में दर्ज है और आरोप के अनुसार उसकी पत्नी ने सूचनाकर्ता के साथ दूसरा विवाह करने के बाद उसके साथ रहना प्रारंभ कर दिया था, तथा इस कारण, वह

अत्यंत नाराज़ था और घटना वाले दिन अन्य लोगों के साथ मृतका के घर में प्रवेश कर उसे चाकू से चोटें पहुँचाई। घटना में सूचनाकर्ता, जो मृतका का पति है, तथा प्रियंशु को भी चोटें आईं।

14. यह आगे परिलक्षित होता है कि आवेदक की पूर्व पत्नी को लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई तथा, इसलिए, वर्तमान मामले में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और दो व्यक्तियों को चोटें आईं। इसलिए आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं।

15. इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त लखन, जो कथित रूप से आवेदक का सहयोगी था, को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है, लेकिन उसका नाम प्राथमिकी में नहीं था तथा इसके बावजूद सूचनाकर्ता द्वारा उसका नाम बताया गया था, और, इसलिए, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, अतः, आवेदक का मामला लखन के मामले से भिन्न है।

16. इसके अतिरिक्त, मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा घायल व्यक्तियों के बयान भी अभियोजन के मामले की पुष्टि करते हैं।

17. इसके अतिरिक्त, तथापि, वर्तमान मामले में, आवेदक फरवरी, 2025 अर्थात लगभग डेढ़ वर्ष से जेल में है, किंतु आवेदक के विरुद्ध आरोप अत्यंत गंभीर हैं और वह हत्या जैसे जघन्य अपराध का अभियुक्त है जिसमें न्यूनतम दंड आजीवन कारावास है और वह मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है, अतः, इस न्यायालय की राय में, केवल इस आधार पर उसे जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।

18. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।

19. तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन **निरस्त** किया जाता है।

20. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

अगस्त 03, 2026



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।